

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 650
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....
वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट, 2024

650. श्री प्रवीण पटेल:
डॉ. भोला सिंह:
श्री पी.सी. मोहन:
डॉ. विनोद कुमार बिंद:
श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री पी.पी. चौधरी:
श्री लुम्बा राम:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री तापिर गाव:
श्री महेश कश्यप:
श्री भर्तृहरि महताब:
डॉ. राजेश मिश्रा
श्री खगेन मुर्मु:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेष रूप से महाराष्ट्र के पालघर और जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों सहित देश में नए चिह्नित किए गए प्रदूषकों और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट, 2024 के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) क्या भूजल संदूषण की प्रवृत्तियों की पहचान करने के लिए पिछले वर्षों के आंकड़ों के साथ कोई तुलना की गई है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं;

(ग) क्या मौजूदा भूजल गुणवत्ता सुधार पहलों की प्रभावाशीलता के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

- (घ) क्या भूजल गुणवत्ता प्रबंधन में सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए कोई ढांचा स्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं;
- (ङ.) महाराष्ट्र के पालघर जिले में भूजल में चिह्नित प्रदूषकों का ब्यौरा क्या है; और
- (च) सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जहां बड़े क्षेत्र में कोयला भंडार है जिसके कारण पानी की गुणवत्ता में अत्यधिक गिरावट आ रही है, में भूजल को स्वच्छ बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा तैयार की गई वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 देश भर में फैले 15,259 निगरानी स्थलों से भूजल के नमूनों और विश्लेषण पर आधारित है। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य पीने और कृषि के लिए उपयोग किए जाने वाले भूजल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फ्लोराइड, आर्सेनिक, भारी धातुओं, नाइट्रेट आदि जैसे विभिन्न जल गुणवत्ता मानकों का अध्ययन करना है। इस रिपोर्ट में कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अलग-अलग क्षेत्रों में मानव उपभोग के लिए निर्धारित सीमाओं से अधिक प्रदूषकों की उपस्थिति पाई गई है। इसके अलावा, रिपोर्ट में कोई नए प्रदूषकों की पहचान नहीं की गई है।

विभिन्न भूजल गुणवत्ता मानकों, उन क्षेत्रों की जानकारी जहां प्रदूषण सूचित किया गया है, संदूषण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों आदि के विवरण वाली विस्तृत रिपोर्ट को <https://cgwb.gov.in/cgwbpm/public/uploads/documents/17363272771910393216file.pdf> पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार, महाराष्ट्र के पालघर और जलगांव संसदीय क्षेत्र में कोई नए प्रदूषक नहीं पाए गए हैं। हालांकि, जलगांव चुनाव क्षेत्र में, कुछ स्थानों (नसीराबाद, कसोडा, आदगांव, लासगांव, वर्केडी-1 और निमझरिया) से भूजल नमूनों में नाइट्रेट, को बीआईएस द्वारा निर्धारित पेयजल की अनुमय सीमा से ऊपर पाया गया है।

(ख) और (ग): भूजल प्रदूषण प्रवृत्तियों का एक तुलनात्मक विश्लेषण पिछले वर्षों के डेटा के आधार पर किया गया है, जो भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में उपलब्ध डेटा के सापेक्ष है। वर्ष 2019 और 2023 के बीच नाइट्रेट, फ्लोराइड और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी (ईसी) जैसे प्रमुख संदूषकों के परिणाम बताते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अनुमय सीमा से अधिक ईसी सैंपलों का प्रतिशत 6.65% से बढ़कर 7.25% हो गया है, फ्लोराइड का प्रतिशत 7.21% से बढ़कर 9.03% हो गया है और नाइट्रेट के संबंध में, अनुपात 19.8% पर ही रहा है।

इसके अलावा, भूजल प्रदूषण से निपटने के लिए सुधारात्मक उपायों के संबंध में उल्लिखित किया जाता है कि जल एक राज्य से संबंधित विषय है और भूजल प्रबंधन की जिम्मेदारी, जिसमें भूजल गुणवत्ता में सुधार के लिए उपाय करना और प्रदूषण समस्या का उपशमन करने का कार्य शामिल है, मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। केंद्रीय सरकार विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को संपूरित करती है।

हालांकि, केंद्रीय सरकार ने इस दिशा में विभिन्न कार्य किए हैं और जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं: सीजीडब्ल्यूबी के पास उपलब्ध भूजल गुणवत्ता डेटा को नियमित रूप से साझा करना, इयरबुक, अर्ध-वार्षिक बुलेटिन और पखवाड़े के एलर्ट के माध्यम से; भूजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अध्ययन शुरू करना;

प्रभावित क्षेत्रों में सीजीडब्ल्यूबी द्वारा नवीनतम सीमेंट सीलिंग तकनीक का उपयोग करके आर्सेनिक से मुक्त कुओं का निर्माण करना, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा व्यापक प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम को कार्यान्वित करना, उद्योग विशेष डिस्चार्ज मानक स्थापित करना, उद्योगों के लिए अपशिष्ट उपचार संयंत्र (इटीपी) को अनिवार्य बनाना, डिस्चार्ज की ऑनलाइन निरंतर निगरानी करना आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार राज्यों की साझेदारी में, अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) – हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है, ताकि देश के हर ग्रामीण घर में पर्याप्त मात्रा, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल जल उपलब्ध कराया जा सके, जिसमें भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस:10500 मानकों को नल जल की सेवा वितरण की गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानदंड के रूप में अपनाया गया है।

इन सभी समग्र प्रयासों के परिणामस्वरूप, यह सूचना मिली है कि अगस्त 2019 से जनवरी 2025 के बीच देश में आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों की संख्या क्रमशः 14,020 से 314 और 7,996 से 254 तक घट गई है। इन शेष बस्तियों को भी सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) के माध्यम से स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल प्रदान किया गया है।

(घ): केंद्रीय सरकार ने भूजल प्रबंधन को वास्तव में जन आंदोलन में परिवर्तित के लिए बड़े पैमाने पर सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ उल्लेखनीय हैं:

- i. भारत सरकार 7 राज्यों के 80 जल की कमी वाले जिलों में अटल भूजल योजना कार्यान्वित कर रही है, जिसका मुख्य विषय सामुदायिक नेतृत्व में सतत भूजल संसाधनों का प्रबंधन और मांग प्रबंधन करना है।
- ii. केंद्रीय भूजल बोर्ड विभिन्न सार्वजनिक इंटरैक्शन कार्यक्रम (पीआइपी), जन जागरूकता कार्यक्रम (एमएपी), स्थानीय भूजल मुद्दों पर टियर II और टियर-III कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें जल प्रदूषण के प्रभावों के बारे में जनता को शिक्षित करना और जल गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सतत प्रणालियों को बढ़ावा देना शामिल है।
- iii. जेजेएम के तहत, समुदाय को शामिल करने और जल गुणवत्ता के बारे में जागरूकता सृजन के उद्देश्य से, प्रत्येक गांव से पांच व्यक्तियों, मुख्यतः महिलाओं, का चयन किया जाता है और उन्हें फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) के माध्यम से जल सैंपलों का परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अब तक, देश भर में 24 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है।
- iv. सरकार वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) को सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ कार्यान्वित कर रही है। इस अभियान के तहत विभिन्न जिलों में जल शक्ति केंद्र (जेएसके) स्थापित किए गए हैं ताकि स्थानीय समुदाय के साथ बातचीत की जा सके और जल से संबंधित जानकारी का प्रसार किया जा सके।
- v. जल शक्ति अभियान की गति को और तीव्र करने के लिए, जल संचय जन भागीदारी: भारत में जल स्थिरता के लिए एक सामुदायिक-प्रेरित मार्ग का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 6 सितंबर, 2024 को सूरत, गुजरात में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक समग्र समाज और समग्र सरकार के दृष्टिकोण का पालन करते हुए पानी की प्रत्येक बूंद को सामूहिक प्रयासों के माध्यम से संरक्षित किया जाए।

vi. इसके अलावा, जल शक्ति मंत्रालय और इसके संगठन, देश में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और जल संसाधन प्रबंधन को सुधारने के लिए बहुत बड़ी संख्या में गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर काम करते हैं। इस मंत्रालय द्वारा जमीनी स्तर पर काम कर रहे एनजीओ के साथ कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ड.): पालघर जिले के लिए कुल 36 सैंपलों का विश्लेषण किया गया, जिनमें से सभी बीआईएस द्वारा निर्धारित अनुमेय सीमाओं के भीतर पाए गए।

(च): सीजीडब्ल्यूबी द्वारा हर साल मध्य प्रदेश में, जिसमें सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है, भूजल गुणवत्ता की निगरानी की जाती है। सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भूजल गुणवत्ता के संबंध में कोई गिरावट की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा, जल जीवन मिशन डैशबोर्ड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सीधी में कोई पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित बस्तियाँ नहीं बताई गई सूचित की हालांकि, जेजेएम और अन्य योजनाओं के तहत 1.92 लाख घरों में से 90,487 घरों में पीने के लिए सुरक्षित नल का पानी उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
